

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-20/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० प्रियंका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-01.03.2024 से 27.08.2024 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक- 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-20/2025- 215/2 /स्वा०, पटना, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, दीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/ डा० प्रियंका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।